

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायपुर (छ0ग0)

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक / 1406 / कले0 / अ0भू0अ0 / स्था-2 / 2018

रायपुर दिनांक 12/7/2018

भुईया अन्तर्गत ऑन लाईन भू-अभिलेख का डिजिटल हस्ताक्षरीकृत कार्य हेतु पटवारियों को प्रदत्त सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के नवीनीकरण कार्य हेतु सील-बंद लिफाफे में दिनांक 18/07/2018 को समय शाम 4.00 बजे तक कोटेशन पत्र स्वतः उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर कक्ष क्र. 25 में जमा किया जा सकता है ।

  
कलेक्टर  
रायपुर

पृ0क्रमांक / 1406 / कले0 / अ0भू0अ0 / स्था-2 / 2018  
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 12/7/2018

1. आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
3. सूचना पटल।

  
कलेक्टर  
रायपुर

// भावपत्र आमंत्रण //

भुईया अन्तर्गत ऑन लाईन भू-अभिलेख का डिजिटल हस्ताक्षरीकृत कार्य हेतु पटवारियों को प्रदत्त सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के नवीनीकरण कार्य हेतु सील-बंद लिफाफे में दिनांक 18/07/2018 को समय शाम 4.00 बजे तक कोटेशन पत्र स्वतः उपस्थित होकर कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर में जमा किया जा सकता है एवं कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर कक्ष क्रमांक - 25 में भावपत्र फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

शर्तें :-

1. DSC नवीनीकरण हेतु टोकन कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर से उपलब्ध कराया जायेगा तथा टेण्डर द्वारा नवीनीकरण पश्चात् टोकन कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर में जमा करना होगा। टोकन सूची सहित जमा करना होगा।
2. DSC नवीनीकरण कार्य हेतु 2 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्य हेतु अनुबंध बढ़ाने का अधिकार कलेक्टर जिला रायपुर को होगा।
3. DSC Signing एवं Signing & Encryption का दर पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा। दर प्रति यूनिट GST सहित प्रस्तुत करना होगा।
4. न्यूनतम दर के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।
5. फर्म का नाम, पता तथा GST पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
6. DSC नवीनीकरण हेतु प्राप्त कोटेशन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर रायपुर को होगा।
7. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नवीनीकरण हेतु प्राप्त कोटेशन दिनांक 18/07/2018 को शाम 4.00 बजे पश्चात् जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 09 में खोला जायेगा। कोटेशन प्रस्तुतकर्ता फर्म अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
8. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नवीनीकरण हेतु प्राप्त कोटेशन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर रायपुर को रहेगा।

1. फर्म का नाम एवं पता .....
2. फर्म का GST पंजीयन क्रमांक .....

### वित्तीय भाग

DSC	टोकन	दर	GST दर	कुल दर
Signing				
Signings & Encryption				

#### शर्तें :-

1. DSC नवीनीकरण हेतु टोकन कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर से उपलब्ध कराया जायेगा तथा टेण्डर द्वारा नवीनीकरण पश्चात् टोकन कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायपुर में जमा करना होगा। टोकन सूची सहित जमा करना होगा।
2. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नवीनीकरण का फार्म जिला कार्यालय कार्यालय में उपलब्ध कराये गये कक्ष में फर्म द्वारा जमा किया जावेगा।
3. डिजिटल सिग्नेचर नवीनीकरण कार्य की दर प्रति यूनिट, जी0एस0टी0 सहित स्पष्ट उल्लेख भावपत्र में अंकित करेंगे।
4. टोकन की दर भी पृथक से संलग्न करेंगे।
5. DSC नवीनीकरण कार्य हेतु 2 वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कार्य हेतु अनुबंध बढ़ाने का अधिकार कलेक्टर जिला रायपुर को होगा।
6. DSC Signing एवं Signing & Encryption का दर पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा। दर प्रति यूनिट GST सहित प्रस्तुत करना होगा।
7. न्यूनतम दर के आधार पर निर्धारित किया जावेगा।
8. फर्म का नाम, पता तथा GST पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
9. DSC नवीनीकरण हेतु प्राप्त कोटेशन को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकरण कलेक्टर रायपुर को होगा।

**फर्म का सील हस्ताक्षर**